



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

सं. सी-20017/02/डीपीसी/प्रशा.(भर्ती)/2020/ 123

11 सितंबर, 2020

आदेश

केन्द्रीय बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 08-09-2020 को समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों की स्वीकृति के फलस्वरूप श्री तारा चंद जो वर्तमान में अवर श्रेणी लिपिक के मूल पद पर कार्यरत हैं, को सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के अनुसार पे-मेट्रिक्स के लेवल -4 (25500-81100) में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

- 2) प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर उनकी प्रोन्नति उनके द्वारा प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से ही प्रभावी होगी।
- 3) उपर्युक्त लेवल में उनका वेतन उनसे विकल्प की प्राप्ति पर नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।
- 4) यह आदेश सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(सुनील कुमार आनंद)
प्रशासनिक अधिकारी(क)

वितरण:-

1. श्री तारा चंद, अवर श्रेणी लिपिक
2. संबंधित प्रभारी
3. प्रभारी (लेखा विभाग)
4. प्रभाग प्रमुख, आई.टी प्रभाग - कृपया इस आदेश को केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवा दें।
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. संबंधित कर्मचारी की कार्मिक फाइल
7. कार्यालय आदेश फाइल
8. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक) की मास्टर फाइल